राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	469/2022 गोपाल बनाम मन्जू जोशी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/10/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
16/10/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई कर अपने निर्णय दिनांक 20/06/2022 पारित करते हुये प्रार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नही होना धारित करते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीयां द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी मौखिक बहस की। अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि मूल वाद घोषणा, दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का है, जिसका साक्ष्य सबूत के परिक्षण उपरान्त अन्तिम निस्तारण होना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी शेष है। ऐसे में यदि विवादग्रस्त भूमि का अग्रिम कोई बैचान/हस्तान्तरण होकर राजस्व रिकार्ड में तथा निर्माण इत्यादि होकर मौके की वर्तमान स्थिति में यदि परिवर्तन होता है तो पक्षकारान में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होकर प्रकरण में जटिलता बढ़ेगी, जिसे रोका जाना आवश्यक एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त उद्धरित तथ्यों से प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी अपीलार्थी के पक्ष में जाहिर होता है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर विवादग्रस्त भूमि की यथास्थिति को कायम रखे जाने का आदेश प्रदान किया जाना उचित समझा जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20/06/2022 निरस्त किया जाकर ता-फैसला मूल वाद विवादग्रस्त भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखते हुये बैचान/हस्तान्तरण नही किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर